वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सं.: 5-1(421)/2017-पीडी   दिनांक: 05.07.2024

प्रेषक

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/इकाइयों के निदेशक/प्रमुख

विषय: दिनांक 01.01.2024 से प्रभावी महंगाई भत्ता की दरों में 50% तक संशोधन पर भत्तों में वृद्धि संबंधी स्पष्टीकरण-विषयक।

महोदय/महोदया,

मुझे, भत्तों पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार के अनुदेशों और सीएसआईआर कार्मिकों के लिए इनके लागू किए जाने के बारे में सीएसआईआर के दिनांक 21.09.2017, 07.11.2017 और 11.05.2018 के पत्र संख्या 5-1(302)/2015-पीडी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। इसके अलावा, कुछ भत्तों को महंगाई भत्ता के 25% या 50%, जैसा भी मामला हो, के संशोधन पर संशोधित किया जाना है और ऐसे भत्तों की दरों के संशोधन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है।

सीएसआईआर के दिनांक 15.03.2024 के पत्रांक 5-1(70)/2009-पीडी द्वारा पृष्ठांकित व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 12.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2024-ई-II (बी) द्वारा दिनांक 01.01.2024 से 50% तक महंगाई भत्ता की दरों में संशोधन करने के परिणामस्वरूप, मकान किराया भत्ता (एचआरए) और अन्य भत्तों की दरों में संशोधन के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

वित्त सलाहकार, सीएसआईआर के परामर्श से इस मामले की समीक्षा की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि सीएसआईआर कार्मिकों पर लागू भत्ते जैसे संतान शिक्षा भत्ता (सीईए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), यात्रा भत्ता(टीए)/दैनिक भत्ता (डीए) आदि की दरें दिनांक 01.01.2024 से संशोधित की जाएंगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

Digitally signed by M ARUN MANIKANDA BHARATHI

अवर सचिव (नीति प्रभाग)

प्रतिलिपि:

1) सीएसआईआर वेबसाइट
2) कार्यालय प्रतिलिपि.